

23.5.18

पत्रावली दिनांक 16.5.18 को पेश हुई।  
आगामी दिनांक 16.6.18 को पेश हो।

16.8.18

पत्रावली पेश हुई वकील वादिया उपलक्षित प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 5 व 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन अदम तामिल प्रोवस्त हुआ जिले शा. 10 किया गया। प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन जोसेज पेश करे जिसे जारी किया जावे। बास्ते प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन जोसेज पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 15.11.18 को पेश हो।

15.11.18

उपयुक्त कार्य से बाहर अधिकारी राजकीय कार्य पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 21.2.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

21.2.19

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/वहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो 13.6.19

3.5.19

वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलन की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वादिया प्रतिवादी गण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया। ब्यायहित में वकील वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया द्वारा अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वादिया का वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा